रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 172] नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 1970/वैशाख 16, 1892
No. 172] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 1970/VAISAKHA 16, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 6th May 1970

S.O. 1696.—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri V. Y. Tamaskar elected to the House from 18-Durg Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951, the Elected Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 13th June, 1970, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused.

[No. 100/MP-HP/18/69(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 6 मई, 1970

एस० ओ० 1696:—यतः मध्य प्रदेश राज्य के 18-दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन सदस्य श्री वी० वाई० टामस्कर की मृत्यु हो जाने के कारण उस सदन में एक स्थान रिक्त हो गया है

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 13 जून, 1970 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/म०प्र०—लो०स०/18/69(1)]

S.O. 1697.—In pursuance of the provisions oof section 30 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 18-Durg Parliamentary constituency in the State of Madhya Pradesh in pursuance of its notification No. 100/MP-HP/18/69(1), dated the 6th May, 1970—

(a) the 13th May, 1970 (Wednesday), as the last date for making nominations;

(b) the 14th May, 1970 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 16th May, 1970 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 7th June, 1970 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 13th June, 1970 (Saturday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/MP-HP/18/69(2).]

एस० ओ० 1697:—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/म० प्र०/लो० सं/18/69 (1) तारीख 6 मई, 1970 के अनुसरण में मध्य प्रदेश राज्य में के 18 दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

(क)	नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	13 मई, 1970 (बुधवार)
(ख)	नामनिदशनों की संवीक्षा की तारीख	14 मई 1970 (बृहस्पतिवार)
(ग)	अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख	16 मई 1970 (शनिवार)
(घ)	वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा	7 जून 1970 (रविवार); तथा
(ङ)	वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	13 जून 1970 (शनिवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/म० प्र०—लो० स०/18/69(2)]

S.O. 1698.—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 A.M. to 4.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 18-Durg Parliamentary constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/MP-HP/18/69(1), dated the 6th May, 1970.

[No. 100/MP-HP/18/69(3).]

By Order,
ROSHAN LAL, Secy.

एस० ओ० 1698:—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/म० प्र० /लो० स०/18/69/ (1) तारीख 6 मई, 1970 के अनुसरण में लोक सभा के लिए 18 दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले निर्वाचन के लिये 8 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/म० प्र०-लो० स०/18/69(3)]

आदेश से,

रोशन लाल, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 173] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 1970/वैशाख 17, 1892
No. 173] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 1970/VAISAKHA 17, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May 1970

S.O. 1699.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, and in addition to the officers appointed by its notification No. 434/UP/67, dated the 11th January, 1967, the Election Commission hereby appoint Shri B. L. Srivastava, Deputy Collector, Gorakhpur and Shri R. C. Shukla, Settlement Officer (Consolidation) Gorakhpur, as the officers to assist the Returning Officer for 38-Gorakhpur Parliamentary Constituency in the performance of his functions, in connection with the bye-election called in pursuance of the Commission's notification No. 100/UP-HP/5/69(1), dated the 14th April, 1970.

[No. 100/UP-HP/5/69.]

By Order,
A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 1970

एस० ओ० 1699.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/उ०प्र० /67 तारीख 11 जनवरी, 1967 द्वारा नियुक्त किए गए आफिसरों के

अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग श्री बी० एल० श्रीवास्तव, डिप्टि कलेक्टर, गोरखपुर और श्री आर० सी० शुक्ल, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), गोरखपुर की 38—गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को, आयोग की अधिसूचना सं० 100/उ०प्र०—लो०स०/5/69 (1) तारीख 14 अप्रैल, 1970 के अनुसरण में अपेक्षित उप-निर्वाचन के सम्बन्ध में, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्द्वारा नियुक्ति करता है ।

[सं० 100/उ०प्र०—लो० स०/5/69]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970

रजि० सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174] नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 1970/वैशाख 21, 1892

No. 174] NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 1970/VAISAKHA 21, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 8th May 1970

S.O. 1700.—In exercise of the powers conferred by Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in partial modification of the notified Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 143, dated the 9th January, 1967 (as subsequently modified), the Central Government hereby authorities, with effect from the 11th May, 1970, Shri Suraj Raj Mathur to take over the management of the whole of the Mahalaxmi Mill Company Ltd., Beawar, *vice* Shri H. S. Ramani.

[No. F.7(47)/70-TEX(G).]

P. K. SAMAL, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 मई 1970

का० आ० 1700.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य

मंत्रालय के अधिसूचित आदेश स० का० आ० 143 दिनांक 9 जनवरी, 1967 (यथा तत्पश्चात् संशोधित) का आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री सूरज राज माथुर को श्री एच० एस० रमानी के स्थान पर 11 मई, 1970 से संपूर्ण महालक्ष्मी मिल्स कम्पनी लि०, ब्यावर, का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिए उन्हें एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है ।

[सं० फा० 7(47)/70—टैक्स (जी०)]

पी० के० समाल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970